



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, भागलपुर।

E-Mail ID :- eercdbhagalpur@gmail.com, Phone No. +91-9470001268



बिहार सरकार

दिनांक-

पत्रांक-

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

वरीय उप समाहर्ता,
जिला सामान्य शाखा, भागलपुर।

विषय:-

पथ प्रमंडल भागलपुर अन्तर्गत राज्य "उच्च पथ सं०-८५" अकबरनगर-अमरपुर पथ पर अवस्थित, मौजा-शहजादपुर, थाना-शाहकुण्ड, थाना नं०-१४५, खाता सं०-८४, खेसरा/प्लॉट सं०-११६, ११७ एवं ११९, रकबा-१३६७ वर्गमीटर पर आई०ओ०सी०एल० का रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक-१२५२/सा० दिनांक-२८.०२.२०२२

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि मुख्य अभियंता सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-८०४ (अनु०) दिनांक-२४.०९.२०२४ द्वारा पथ प्रमंडल भागलपुर अन्तर्गत राज्य "उच्च पथ सं०-८५" अकबरनगर-अमरपुर पथ पर अवस्थित, मौजा-शहजादपुर, थाना-शाहकुण्ड, थाना नं०-१४५, खाता सं०-८४, खेसरा/प्लॉट सं०-११६, ११७ एवं ११९, रकबा-१३६७ वर्गमीटर पर आई०ओ०सी०एल० का रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु ०५ (पाँच) वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है :-

१. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
२. प्रत्येक ५ वर्ष के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
३. विभागीय पत्रांक-४७७० (ई०) दिनांक-२४.०८.२०१७ के कंडिका-६ का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय। तथा पाँच वर्ष के चार माह पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित करना अनिवार्य है। सूचनार्थ समर्पित।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

हस्ताक्षर

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

ज्ञापक-१८१८

दिनांक-०७.१०.२०२४

प्रतिलिपि:- श्री सुशील कुमार भगत, पिता- स्व० रामपति भगत, ग्राम-पचरुखी, थाना-शाहकुण्ड, जिला-भागलपुर, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, भागलपुर।

हस्ताक्षर